प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 2159 /एम0–खनन योजना/2021 दिनांक: 10 फरवरी 2021

विषयः–प्रदेश मे खनिजों से सम्बन्धित खनन योजनाओं को आन लाइन आवेदन एवं निस्तारण हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in से सम्बन्धित दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 2135/एम0–खनन योजना/2021, दिनांक 05.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीति एवं ईज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत खनिज से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं (आवेदन पत्र से लेकर स्वीकृति तक की प्रकिया) को आनलाईन किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 द्वारा upminemitra.in आनलाईन पोर्टल विकसित किया गया है।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 यथासंशोधित के नियम–34 के अन्तर्गत वर्तमान में उपखनिज बालू/मोरम, ईमारती पत्थर के खनन योजनाओं के अनुमोदन हेतु लेटर आफ इन्टेंट के उपरान्त सम्बन्धित आर0क्यू0पी0 द्वारा खनन योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु निदेशालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत की जाती है, की व्यवस्था को समाप्त करते हुए खनन योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 के पोर्टल upminemitra.in पर व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन खनन योजना आवेदन/अनुमोदन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

1. एल0ओ0आई जारी होने के उपरान्त आवेदक स्वत: ही पंजीकृत हो जाते हैं जिसकी सूचना उन्हें पंजीकृत ई–मेल आई डी और मोबाइल नं0 पर उनका यूजर आईडी और पासवर्ड भी प्रदर्शित होगा।
2. आवेदक द्वारा उक्त पोर्टल पर खनन क्षेत्र जिसके लिए एल0ओ0आई0 जारी किया गया है का जनपद, तहसील/सेक्टर, गाटा संख्या/खण्ड संख्या, क्षेत्रफल आदि प्रविष्टियॉ अंकित की जायेंगी।
3. आवेदक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 द्वारा तैयार किये गये खनन योजना को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदन हेतु upminemitra.in पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, जिसका अनुमोदन ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा तथा अनुमोदन पत्र प्रस्तावक के ई–मेल आई0 डी0 पर उपलब्ध होगा।

अतः अपेक्षा है कि उपखनिजों के स्वीकृत परिहारों हेतु खनन योजना अनुमोदन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु सम्बन्धित प्रस्तावको को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 रोशन जैकब)
निदेशक।

संख्याः /एम0–प्रवर्तन सोनभद्र/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1–सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त प्रभारी अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0।
4–समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।

(डा0 रोशन जैकब)
निदेशक।